न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2020

अनवान :

1. नत्थूराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 इन्द्राज पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

2 लीलाधर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

3 कमला पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

4 कलावती पुत्री जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री संदीप गोदारा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 24.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही डुंगराना के खाता सं0 22/335 के खसरा सं0 649/5 की 3.035है0 व रोही डूंगराना के खाता सं0 31/10 के खसरा सं0 317 की 2.909है0, खसरा सं0 430 की 8.612है0, खसरा सं0 431 की 2.655है0, खसरा सं0 444 की 2.087है0, खसरा सं0 446 की 2.896है0 कुल 19.159है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व इसी प्रकार रोही बिसरासर तहसील रावतसर के खसरा सं0 1554/38 व खसरा सं0 35/1 की 9.105है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के नाम से 1315/3642 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता अमीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। अमीलाल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि [illegible] आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने ह[illegible]हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश

Scanned with CamScanner

किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु नत्थूराम पुत्र इन्द्राज के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही डूंगराना खाता सं0 21/21 प्रदर्श 1 व 2, जमाबंदी पुरानी रोही डूंगराना प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही डूंगराना खाता सं0 334/334 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही डूंगराना संवत 2059–59 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगराना प्रदर्श 6, मृत्यू प्रमाण पत्र हरकी प्रदर्श 7, जमाबंदी बिसरासर प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र नत्थूराम, लीलाधर व दो पुत्री कमला व कलावती के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही डुंगराना के खाता सं0 22/335 के खसरा सं0 649/5 की 3.035है0 व रोही डूंगराना के खाता सं0 31/10 के खसरा सं0 317 की 2.909है0, खसरा सं0 430 की 8.612है0, खसरा सं0 431 की 2.655है0, खसरा सं0 444 की 2.087है0, खसरा सं0 446 की 2.896है0 कुल 19.159है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 का बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादी सं0 1 इन्द्राज के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि नाम है। रोही मौजा डूंगराना की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही डुंगराना के खाता सं0 22/335 के खसरा सं0 649/5 की 3.035है0 व रोही डूंगराना के खाता सं0 31/10 के खसरा सं0 317 की 2.909है0, खसरा सं0 430 की 8.612है0, खसरा सं0 431 की 2.655है0, खसरा सं0 444 की 2.087है0, खसरा सं0 446 की 2.896है0 कुल 19.159है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज के नाम से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमोनुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 नत्थूराम व प्रतिवादी सं0 2 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

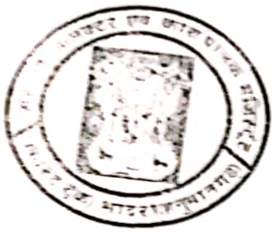

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अभिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2020

1. नत्थूराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 इन्द्राज पुत्र अभीलाल जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

2 लीलाधर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

3 कमला पुत्री इन्द्राज जाति जाट नियासी डूंगराना त0 भादरा।

4 कलावती पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही डुंगराना के खाता सं0 22/335 के खसरा सं0 649/5 की 3.035है0 व रोही डूंगराना के खाता सं0 31/10 के खसरा सं0 317 की 2.909है0, खसरा सं0 430 की 8.612है0, खसरा सं0 431 की 2.655है0, खसरा सं0 444 की 2.087है0, खसरा सं0 446 की 2.896है0 कुल 19.159है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं 1 इन्द्राज का नाम कलमजन कर वांदी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 नत्थूराम व प्रतिवादी सं0 2 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 10:29:42 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner